

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- 7 वां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	1.4625 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	1.0350 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.4975 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल- 1.4625 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित
करने

के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

विषय सूची

क्र.	प्रपत्र	पृ0सं0
1	आवरण पृष्ठ	1-2
2	विषय सूची	3
3	फैक्ट सीट	4-6
4	प्रतिवेदन	7
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश	8-11
6	भारत सरकार के प्रपत्र	12-19
7	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट व प्रमागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	20-22
8	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	23
9	प्रभावित वृक्षों के पातन की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	24-29
10	बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र	30
11	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	31
12	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	32-34
13	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना (पंचवर्षीय)	35-40
14	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र, काग्य योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	41-43
15	परियोजना का बार चार्ट	44
16	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण-पत्र	45
17	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रमागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र	46
18	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	47
19	आम समा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	48-49
20	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण-पत्र	50
21	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र	51
22	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र	52
23	भू-वैज्ञानिक की आख्या	53-56
24	भू-वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र	57
25	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र	58
26	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र	59
27	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र	60
28	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र	61
29	लगायत होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	62
30	दुग्ने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र	63
31	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	64
32	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र	65
33	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने एवं मूल्य वृद्धि का प्रमाण-पत्र	66-68
34	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण-पत्र	69-71
35	प्रस्तावित स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र	72
36	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	73-78
37	मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण-पत्र	79-82
38	आर0सी0पी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण-पत्र	83
39	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र	84
40	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	85
41	प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण	86-88
42	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण-पत्र	89
43	राष्ट्रीय पार्क / वन्य अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र	90
44	रसाई गैस /कैरोसिन आपूर्ति का प्रमाण पत्र	91
45	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	92-96
46	विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र	97

47- अन्तर्गत शब्दों के लिए श्रेष्ठता का तुलनात्मक विवरण — — — 98-101

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)-

वन पंचायत भूमि	-	1.4625 है०
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 है०
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 है०
निजी भूमि	-	1.0350 है०
योग	-	2.4975 है०

2. प्रस्तावक विभाग का नाम - लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है- हाँ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - हाँ / नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - हाँ / नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भर गया है - हाँ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
10. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थीलय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्ताव विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है - हाँ / नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजनामय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
15. क्या माचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर /आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ / नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ / नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ/नहीं
 यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालका का प्रामाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ/नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की प्रति संलग्न करें) - हाँ/नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की वन भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ/नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
23. क्या प्रस्तावित योजना में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय - हाँ/नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ/नहीं
26. वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण अधिक वृक्ष होने के कारण
रूख गड़बड़ाव के कारण
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है - हाँ/नहीं
 (5 हैक्टेयर से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)
28. मानचित्र व बार चार्ट में एक रूपता है - हाँ/नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजनामय मानचित्र सहित संलग्न करें - हाँ/नहीं
 अथवा
 मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ/नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है - यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित है - हाँ/नहीं
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ/नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ/नहीं
35. ग्राम सभा व अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं

36. एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 9.05.2008 के अनुसार) - हाँ/नहीं
37. क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पांच वर्षीय सजरा सीट राजस्व उपनिरीक्षक के खसरा खतौनी सहित संलग्न है - हाँ/नहीं
38. क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल क्षेत्र में ही किया जायेगा, का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
39. प्रभावित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा प्रस्ताव पार्क से राष्ट्रीय पार्क/वन्य अभ्यारण की दूरी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
40. 1 : 50,000 के मानचित्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर रेखायें दर्शायी गयी हैं - हाँ/नहीं
41. 1 : 50,000 पैमाने के मानचित्र पर वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है - हाँ/नहीं
42. परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रस्सोई गैस/मिट्टी का तेल की आपूर्ति की जायेगी का प्रमाण पत्र संलग्न है - हाँ/नहीं
43. प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है - हाँ/नहीं
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फौक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है।

अधिशायी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

इस मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत 6985/111(2)/10-18 (प्रा०आ०)/10 टी०सी० दिनांक 03.02.2011 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रू० 37.80 लाख प्रथम चरण हेतु प्राप्त है। छाया प्रति संलग्न है।

यह मार्ग रुद्रप्रयाग-चोपड़ा-कुरझण-काण्डई मोटर मार्ग के किमी० 15 के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर ग्राम टेमना, डूंग्री, पाली व सेमलसारी तक जायेगा। मार्ग के पारम्भिक सर्वेक्षण करने के उपरान्त इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी० आती है। मार्ग की संरक्षण आख्या वृत्तीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत है। मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु यह वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के नव निर्माण में 1.4625 है० वन पंचायत भूमि एवं 1.0350 है० नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांवों के साथ-साथ ही लगभग 1000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।


अतः इस मार्ग के नव निर्माणा हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।


भूमि का प्रकार-


वन पंचायत भूमि	-	1.4625 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	1.0350 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	2.4975 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल - **1.4625 हेक्टेयर**

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का निरीक्षण भू-वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। आख्या प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 1.4625 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशारी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में राज्य योजना योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

स्वीकृत लागत = रू० 37.80 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित गांवों को जोड़ने हेतु एक मात्र विकल्प है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

0.002 लाख मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

1.4625 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।
0.0000 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।
0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि
1.0350 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या


- शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

- शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। संलग्न है।

दिनांक 31/08/2014
स्थान -रुद्रप्रयाग



(ई० इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड ल०० नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

परियोजना/स्कीम का स्थान

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- | | | |
|-------|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग। |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | 1.4625 हे० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 1.4625 हे० वन पंचायत भूमि
1.0350 हे० नाप भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.0015 20% |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है। |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 1.00 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं। |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | लागू नहीं |

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
 - जिला का वन क्षेत्र।
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - वनेत्तर भूमि पर
 - तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - वन भूमि पर
 - वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

580.852 hae.

727.29 hae. 145 मामलों

X

X

727.29 hae. 145 मामलों

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

से सम्बन्धित है। अतः

जनहित में सिफारिश की

जाती है।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

किशोर चन्द
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

भाग- III
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....

स्थान-

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर


परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)


प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री कुलदीप सिंह पंवार वन दरोगा, श्री महावीर सिंह बिष्ट वन रक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ओम प्रकाश चन्द्रा अवर सहायक अभियन्ता के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.0000 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.0000 हे०, वन पंचायत भूमि 1.4625 हे० एवं नाप भूमि 1.0350 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।


आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....


प्रस्तावित समरेखण एक मात्र विकल्प है। इस समरेखण पर प्रभावित होने वाली वन भूमि/वृक्षों की संख्या न्यूनतम है तथा इस समरेखण पर कोई विवाद नहीं है।



कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रति हस्ताक्षरित
प्रभूमान वन्यधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



राजस्व उपनिरीक्षक
रुद्रप्रयाग


तहसीलदार
रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग


उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित



जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग


क्र.सं	वन पन्नापत्र का नाम / सिविल	व्यवस्थापक प्रशासन का नाम	क्षेत्र का नाम	जमीन का नं०	काल
1)	पाली	चीड़	30-40	जमी०	—
2)	—	—	10-20	जमी०	—
3)	—	—	10-20	—	—
4)	समल सागी वन पन्नापत्र	चीड़	10-20	—	—
5)	—	—	10-20	—	—
6)	—	चीड़	10-20	—	—
7)	—	चीड़	20-30	—	—
8)	इंजी सिविल क्षेत्र	खैरा	20-30	—	—
		समल	20-30	—	—
		खैरा	20-30	—	—
		खैरा	20-30	—	—
		खैरा	30-40	—	—
		खैरा	30-40	—	—
		खैरा	30-40	—	—
		वन	20-30	—	—
		खैरा	30-40	—	—

गोश्वारा

चीड़	30-40	खैरा	—	1
चीड़	20-30	—	—	—
चीड़	10-20	—	—	1
खैरा	20-30	—	—	5
—	30-40	—	—	2
समल	20-30	—	—	2
खैरा	30-40	—	—	1
वन	20-30	—	—	2
—	20-30	—	—	1

योग 15 पेड़


उप-प्रशासक
ले.वि.


कुल-पंचायत
वन विभाग

प्रशासक
वन विभाग

**SITE INSPECTION NOTE BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from **Executive Engineer Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (for diversion under FCA-1980) of **1.4625 ha.** of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **Chopra-Dungri-Chapar motor road**. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.4625 ha.**


The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part-I is unavoidable and is base minimum required for the project. **NO**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of. :-

Whether any protecterd archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required :-

- a) The user agency has not violated the provisions of forest. (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place Rudraprayag	(Signature) 
Date	Name C. Kishan Chandel
	Designation प्रभागीय इनीधिकारी
	Office Seal. रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

- N.B. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hactares of forest and site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे०)
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	00 मी०	9 मीटर	0.000 (आरक्षित वन भूमि)

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रशासकीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकवा	याचित क्षे फ. (हे०)	टिप्पणी
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	—	—	0.000	सिविल सोयम
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव	987,990 994	1.462	1.462	वन पंचायत
रुद्रप्रयाग	तदैव	तदैव			1.035	नाप भूमि

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग प्रभाग
जनपद रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रति हस्ताक्षरित

Raghu
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग
संख्या- / दिनांक: , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

हल्के वाहन मार्ग के मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु 1.4625 हे० वन पंचायत भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई:-

क्र सं	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग	
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक		
1	अगस्त्य मुनि	चीड़		5	1	1								7
		खैरू			2	2								4
		सेमल			1									1
		खडीक				2								2
		तुन				1								1
		योग												15

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची


वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग


योजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंगरी-चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



प्रभावित वृक्षों के वैज्ञानिक नाम

क्र०सं०	प्रजाति का नाम	वैज्ञानिक नाम
1	2	3
1	चीड़	PINUS ROXBURGII
2	खैर	ACACIA CATECHU
3	सेमल	BOMBAX CEIBA
4	खडीक	CARPINUS VIMINEA
5	तुन	CABRELA TOONA


कमिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


वनक्षेत्राधिकारी


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनक्षेत्राधिकारी
रुद्रप्रयाग

योजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंगरी-चापड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मार्ग पर पड़ने वाले बाधक वृक्षों की मूल्य गणना सूची

क्र.सं०	प्रजाति का नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशि रूपये
1	2	3	4	5	6
1	चीड	30-40	1	2330.00	2330.00
		20-30	1	600.00	600.00
		10-20	5	240.00	1200.00
	खैर	20-30	2	4800.00	9600.00
		30-40	2	11500.00	23000.00
	सेमल	20-30	1	1160.00	1160.00
	खडीक	30-40	2	3000.00	6000.00
	तुन	20-30	1	1160.00	1160.00
		Total	15	Total	45050.00
		का 40% =			
				G. Total	

अनुसूचित दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु -
4 वर्षों में वृद्धि $10\% \times 4 = 40\%$

वनक्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वन्याधिकारी
लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

स्वास्थ्य आदेश संख्या- 411 / 0-4/23-2 ,दिनांक, पौड़ी 14 अगस्त, 2013 का संलग्नक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

गढ़वाल वृत्त के अन्तर्गत वृक्षों की अनुसूचित दरें

व्यास से 0मी० तथा वृक्षों की कीमत (रूपये में)

क्र.स.	प्रजाति का नाम		व्यास से 0मी० तथा वृक्षों की कीमत (रूपये में)											
	हिन्दी / स्थानीय	वैज्ञानिक नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	चीड़	Pinus roxburgii	90	240	600	2330	5070	8565	13200	18660	23860	26250		
2	कैल	Pinus wallichiana	105	375	1125	3660	6970	10490	14460	19385	24750	30540		
3	रई (स्पूस), रागा / मुरिण्डा / फर	Picea Smithiana / Abies pindrow /	105	330	750	1912	3420	5390	7950	10950	14595	18305		
4	देवदार	Cedrus deodara	180	525	1200	4095	7930	12180	15640	20310	25245	35400		
5	सुरई	Cupressus torulosa	75	130	180	390	710	1150	1700	2500	3510	4750		
6	साल	Shorea robusta	90	330	4600	11880	23200	38600	45500	54600	60400	70700		
7	शीशम	Dalbergia sissoo	75	315	3600	9470	16400	20500	25800	42500	52400	62500		
8	सागौन	Tectona grandis	215	490	1920	5880	12910	28530	43240	60520	69190	73500		
9	असना / सेन	Terminalia tomentosa / T elata	85	270	1330	3790	9510	14250	21600	34590	47550	51900		
10	यूकेलिप्टस	Eucalyptus spp.	70	160	820	1900	2830	3790	4170	4590	5050	5550		
11	खैर	Acacia catechu	105	400	4800	11500	19050	28550	43250	47550	52320	57550		
12	जामुन	Syngizium cumini	75	190	1160	3320	4400	6480	9840	16250	20150	24450		
13	शहतूत	Morus alba	40	70	450	1290	2550	3340	4530	5460	6510	7570		
14	धौड़ा, कन्जु, खरपत,थामन पुला, वौरंग, गद्दी, बीड़ा, टोगरिया,	Legerstroemia / Holoptelia / Garuga / Grewia	70	190	960	1900	3790	5710	6900	8640	12100	13300		
15	अखरोट	Juglens regia	75	190	960	1750	5710	6010	8640	12100	15910	20470		
16	उत्तीस / सिलवर ओक	Alnus nepalensis / Gravilea robusta	100	160	330	550	1120	2200	3030	3900	4320	4750		
17	पहाड़ी पीपल	Populus ciliata	100	160	250	520	990	1900	2730	3510	3850	8110		

G. K. S. D. V.

क्र.सं.	प्रजाति का नाम		व्यास श्रेणी तथा वृषों की कीमत (रुपये में)											
	हिन्दी / स्थानीय	वैज्ञानिक नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18	अंगू	Fraxinus	100	160	390	850	1980	3330	4680	6780	8490	9340		
19	काठूल (कॉचुला)	Acer caesium	160	450	1170	2700	4530	6670	9060	12100	16630	20470		
20	कोला, खगसी	Machilus odoratissima / Swida macrophylla	40	70	160	390	600	850	1140	1590	2100	2460		
21	खसू	Quercus semicarpifolia	40	130	210	450	970	1650	2400	3300	4390	5600		
22	बालुचेशी	—	100	220	450	610	1510	1980	3030	4260	5340	5880		
23	तुन, हलदू, सेमल, बांकुली (धौड़ी), आम	Cedrela toona / Haldinia cordifolia / Bombax ceiba / Anogeissus latifolia / Mangifera indica	75	190	1160	3320	4750	8550	10380	14860	20150	24450		
24	चमखड़ीक	Carpinus viminea	190	550	1510	3000	6670	11650	18730	24190	37840	41620		
25	थुनेर	Taxus baccata	70	140	220	520	990	2010	2730	3780	4150	6060		
26	पांगर	Aesculus indica	80	145	245	565	1095	2060	2930	3800	4190	4590		
27	पापड़ी	Buxus wallichiana	80	355	920	1630	2125	2480	2580	2640	2900	3200		
28	बांज तथा हरिज	Quercus leucotrichophora	50	145	225	485	1050	1770	2580	3540	4700	6000		
29	भोजे	Betula utilis	80	145	210	355	595	1015	1770	2480	3410	3750		
30	भोटिया वादाम	Corylus colurna	48	145	242	483	1095	2061	2930	3703	4073	4492		
31	मौरू / तिलांज	Quercus himalayana / Q floribunda	48	145	483	676	1095	1948	2640	3542	4411	5732		
32	सौड़ी (वर्च)	Elaeodendron glaucum	70	140	450	630	1350	2850	3750	5100	5460	6060		

Q. 217

प्रजाति का नाम		व्यास से 0मी० तथा वृक्षों की कोमल (रूपये में)										90 से ऊपर	
क.स.	हिन्दी / स्थानीय	वानस्पतिक नाम	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	हिमरी / बकैन	Alnus wallichiana / Melia azedarach	48	145	225	354	596	1030	1771	2737	3413	3751	
34	रियांज, बुरांश, अंगार तथा अन्य विविध प्रजाति	Quercus lanuginosa Rhododendron / Andromeda	50	80	160	390	630	780	1020	1230	1500	1800	

1. बांस - 32.00 (तीस रूपये) प्रति बांस
2. रिंगाल - 80.00 (अस्सी रूपये) प्रति गड्डी एवं एक गड्डी = 100 रिंगाल
3. बोल्डर पत्थर - 200.00 (दो सौ रूपये) प्रति घन मीटर
4. बजरी तथा रेत - 150.00 (एक सौ पचास रूपये) प्रति घन मीटर
5. स्लेट (पठाल) - 100 (एक सौ रूपये) प्रति वर्ग मीटर

नोट:- 1. यदि किसी प्रजाति की अनुसूचित दरें उपरोक्त तालिका में अंकित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में यमुना / शिवालिक / भागीरथी वृत्त की अनुसूचित दरों की तालिका का संज्ञान लिया जा सकेगा। यदि इन तालिकाओं में भी उक्त प्रजाति अंकित नहीं है तो दर निर्धारण हेतु मामला वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त को संदर्भित किया जायेगा।

2. अवैध पातन के मामलों में सभी वृक्ष हरे एवं तोस (खैर के मामले में योग्य) माने जायेंगे तथा तदनुसार ही वृक्षों का मूल्यांकन किया जायेगा।
3. जिन कोमल काष्ठ की दरें उपरोक्त तालिका में दी गई हैं, उनका औद्योगिक आबंटन होने की दशा में दरें शासन द्वारा निर्धारित की जानी हैं।
4. सूखे, तोस, योग्य व आयोग्य वृक्षों के लिए आयतन एवं मूल्य निर्धारण मुख्य वन संरक्षक, (वन प्रबन्धन) उत्तर प्रदेश नैनीताल के पत्रांक 1312/3-7-3 (भाककलन) दिनांक नैनीताल 05 दिसम्बर 1988 के अनुसार किया जायेगा।

24/8/17
(बी०पी०गुप्ता)

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, ढौडी।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपडा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र.सं.	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग	
			00.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90		90 से अधिक
1	अगस्त्य मुनि	बांज											

उपरोक्तानुसार गणना किये गये कोई भी बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिनका कि पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त पौड़ी

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी०)

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम्य विकास विभाग के अधीन निर्मित होने वाले जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली राज्य योजना के अन्तर्गत चोपड़ा-डूंग्री-चापड़ मोटर मार्ग, वास्तविक लम्बाई 2.775 किमी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि रेंज
(रुद्रप्रयाग)

प्रभागीय वजाधिकारी
अगस्त्यमुनि वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग